

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) **डेम्प सातड़ा**

पीठासीन अधिकारी : **श्री राहुल सैनी**

मनमरी

उनवांग

नाम **राजस्थान सरकार**

सावा बाबत नाम **इरानी 01588RTA**

मुद्रण संख्या **89/2021**

निर्णय दिनांक **16.11.2021**

वादी की ओर से **स्वयं** की व प्रतिवादी की ओर से **पैरोका राज**  
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **16.11.21** को **श्री राहुल सैनी** (नाम पीठासीन  
अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, **चूरु** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश  
होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि **शेरी ग्राम रामदेवा के स्थित**  
**खसरा नम्बर 338/79 तादाती 6.3232 हे+254 रुबि रुबि के राजस्थान**  
**रिकॉर्ड अमावेरी में दर्ज मनी देरी के खान पर मनमरी**  
**अधिकारी के अदेश दिए जाते हैं। तदनुसार, यह**  
**उक्तानुसार राजस्थान रिकॉर्ड में अन्तिम इलाक़ा करे।**

स्वयं पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **16.11.2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर  
दी गई।



**वि.सा.21**  
(**राहुल सैनी**)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी कारी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील		जॉड	
जॉड			



**905**  
**ना.सं. 16/11/2021**